न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं

डीडवाना–कुचामन न्यायक्षेत्र, राजस्थान।

पीठासीन अधिकारी	:-	**दीपेंद्र कुमार मीणा, आर.जे.एस.**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	:-	**31/2016**
सीआईएस नंबर	:-	**17/2016**
एफ. आई. आर. संख्या	:-	**263/2014 पुलिस थाना लाडनूं**
सीएनआर संख्या	:-	**RJDK100000202016**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, लाडनूं **.....अभियोगी**

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र चिरंजीलाल(**मफरूर**)
2. पानादेवी उर्फ पानीदेवी पत्नी स्व. चिरंजीलाल

निवासीगण वार्ड नं.4 सोलजी की कुई के पास रतनगढ़ पुलिस थाना रतनगढ़ जिला चूरू।

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 498ए एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:–

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।
2. श्री गुलशेर खां, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

निर्णय **दिनांक: 29.06.2026**

नोट– प्रकरण में अभियुक्त अनिल कुमार के विरुद्ध धारा 299 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही पेंडिंग है तथा उक्त अभियुक्त मफरूर है। अतः यह निर्णय अभियुक्ता पानादेवी उर्फ पानीदेवी की हद तक किया जा रहा है।

01– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.08.2014 को परिवादिया कल्पना पुत्री किस्तुराराम पत्नी अनिल कुमार निवासी ग्राम बालसमंद, तहसील लाडनूं जिला नागौर ने एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि परिवादिया कल्पना की शादी दिनांक 10.05.2006 को अभियुक्त अनिल कुमार के साथ हिन्दू रीति–रिवाजानुसार सम्पन्न हुई थी। विवाह में परिवादिया के माता–पिता द्वारा लगभग 1,00,000 मूल्य का सामान, जेवरात एवं स्त्रीधन दिया गया, जिसे अभियुक्तगण ने अपने कब्जे में ले लिया। विवाह के लगभग एक वर्ष पश्चात अभियुक्तगण अनिल कुमार, पानिदेवी, ओमप्रकाश, नागरमल, भंवरलाल एवं भीखाराम ने परिवादिया से अतिरिक्त दहेज स्वरूप 2,00,000 नकद एवं कीमती सामान की मांग शुरू कर दी तथा मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट, गाली–गलौच एवं मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना करने लगे। अभियुक्त अनिल कुमार के विदेश जाने के लिए भी परिवादिया के पीहर पक्ष से 80,000 प्राप्त किए गए। परिवादिया ने आरोप लगाया कि देवर ओमप्रकाश उसकी ओर गलत नियत रखता था तथा उसके साथ छेड़छाड़ कर अवैध संबंध बनाने का दबाव डालता था। विरोध करने पर अभियुक्तगण द्वारा उसे और अधिक प्रताड़ित किया गया। परिवादिया के अनुसार उसे कई बार भूखा रखा गया, कमरे में बंद किया गया तथा ससुर की मृत्यु के बाद अभियुक्तगण द्वारा उस पर केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास भी किया गया। पुत्री दीपिका के जन्म के समय भी अभियुक्तगण द्वारा नगद राशि, सामान एवं जेवरात की मांग की गई। अंततः अभियुक्तगण ने परिवादिया का स्त्रीधन एवं जेवरात हड़पकर उसे नवंबर 2012 में घर से निकाल दिया तथा वापस रखने एवं स्त्रीधन लौटाने से इंकार कर दिया.......आदि।

02– उक्त परिवाद पर थानाधिकारी, पुलिस थाना लाडनूं द्वारा प्रकरण संख्या 263/2014 अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498ए, 406 भारतीय दंड संहिता में व अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता मफरूरी में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03– बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त द्वारा आरोप से इन्कार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

04– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित गवाहन को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया–

–:अभियोजन/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	किस्तुराराम	हितबद्ध गवाह
पीडब्ल्यू–2	प्रेमसिंह	स्वतंत्र गवाह
पीडब्ल्यू–3	मनोज कुमार	हितबद्ध गवाह
पीडब्ल्यू–4	कल्पना	पीड़िता/परिवादिया
पीडब्ल्यू–5	कानाराम	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू–6	बजरंगसिंह	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू–7	चैनाराम	स्वतंत्र गवाह
पीडब्ल्यू–8	संदीप कुमार	हितबद्ध गवाह
पीडब्ल्यू–8	रामकुमार कस्वा	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू–9	मुन्नालाल	हितबद्ध गवाह
पीडब्ल्यू–10	सुमन	हितबद्ध गवाह
पीडब्ल्यू–11	हरजिंदर सिंह	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू–12	कमला	हितबद्ध गवाह

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

–:अभियोजन/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	परिवाद	प्रदर्श पी–1

2	फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी दहेज सामान	प्रदर्श पी–2
3	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी–3

05– अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किए गए जिस पर अभियुक्ता ने अपने विरुद्ध आई अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

06. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा दौराने बहस तर्क दिए कि परिवादिया द्वारा दिए गए परिवाद एवं अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार घटना परिवादिया ने अपने ससुराल रतनगढ़ में होना बताया है। परिवादिया के साथ किसी प्रकार की क्रूरता या मारपीट गांव बालसमंद तहसील लाडनूं में हुई हो एेसे कोई कथन नहीं हैं। ना ही इस संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य है इसलिए घटना घटित होने वाला स्थान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण एेसे प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं होने से अभियुक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा दौराने बहस यह भी तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है क्योंकि अभियुक्ता पर लगे आरोप 2 लाख रुपये की मांग व कीमती सामान की मांग को लेकर तंग व परेशान करना बताया है लेकिन परिवादिया व अन्य गवाहान की साक्ष्य के अनुसार यह मांग अभियुक्त अनिल द्वारा तलाक का मुकदमा करने के बाद करना बताया है। कुछ गवाहान ने मोटरसाइकिल की मांग करना बताया है लेकिन किसी भी गवाह ने 2 लाख रुपये की मांग की हो और अन्य सामान की मांग की गई हो, अभियुक्ता द्वारा तंग व परेशान किया हो, एेसे कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है क्योंकि अनुसंधान अधिकारी जो अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित हुआ है उनमें कहीं भी अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्ता पाना के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं माना है जिससे कि यह ज्ञात होता हो कि अभियुक्ता पर लगे हुए आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। गवाहान की

साक्ष्य से जो सामान परिवादिया को बतौर स्त्रीधन देना बताया है, उस संबंध में भी गवाहान द्वारा उसके ससुर भंवरलाल, उसके पति अनिल इत्यादि को देना बताया है लेकिन परिवादिया को दिया गया स्त्रीधन अभियुक्ता पानादेवी को दिया गया हो, इस संबंध में भी कोई स्पष्ट साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अभियोजन कहानी संदेहपूर्ण है। अतः निवेदन है कि अभियोजन पक्ष अपने संपूर्ण साक्ष्य से अभियुक्ता पर लगे आरोप संदेह से परे साबित करने में असफल् रहा है। अतः अभियुक्ता को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाए।

07. उभय पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य, अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा उद्धृत विधिक प्रावधानों तथा न्यायिक दृष्टांतों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त द्वारा विवाह के पश्चात परिवादिया के साथ कम दहेज लाने का ताना देकर 2,00,000/- नगद, कीमती सामान एवं अन्य दहेज की मांग की गई तथा मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट एवं मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना की गई। अभियोजन का यह भी कथन है कि परिवादिया का स्त्रीधन अभियुक्तगण द्वारा अपने पास रख लिया गया तथा मांग करने पर भी वापस नहीं किया गया। वहीं बचाव पक्ष का मुख्य तर्क यह है कि कथित समस्त घटनाएं रतनगढ़ में घटित होना बताई गई हैं, जबकि वर्तमान न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में कोई घटना घटित होना सिद्ध नहीं है। साथ ही अभियोजन साक्षियों के कथनों में गंभीर विरोधाभास हैं, कथित दहेज मांग, मारपीट, 80,000/- देने तथा स्त्रीधन के संबंध में कोई स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि परिवादिया द्वारा वर्तमान परिवाद अभियुक्त द्वारा पारिवारिक न्यायालय में तलाक का वाद प्रस्तुत करने एवं नोटिस प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्तुत किया गया है, जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है।

08. अतः उभयपक्षकारान के उक्त तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली, संबंधित विधि व प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया।

(i) ''क्या अभियुक्त ने परिवादिया श्रीमती कल्पना के साथ उसकी शादी दिनांक 10.05.2006 के पश्चात् बालसमंद व रतनगढ़ में परिवादिया का पति होते हुये उसे कम दहेज लाने की बात को लेकर दहेज के रूप में 2 लाख रूपये व कीमती सामान आदि की मांग को लेकर उसे तंग, परेशान कर प्रताड़ित किया और इस प्रकार उस पर क्रूरता कारित की?

(ii) ''आपने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर परिवादिया कल्पना को दिया गया स्त्रीधन आपको व्यस्त था, को परिवादिया द्वारा मांगने पर भी बेईमानी की नियत से नहीं लौटाकर आपराधिक न्यास भंग किया?

विचारणीय बिंदु संख्या (i) बचाव पक्ष का प्रथम तर्क यह है कि परिवादिया द्वारा कथित समस्त घटनाएं रतनगढ़ स्थित ससुराल में होना बताई गई हैं तथा वर्तमान न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में कोई घटना घटित नहीं हुई है। इसलिए वर्तमान न्यायालय को विचारण का अधिकार प्राप्त नहीं है।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (निर्णय दिनांक 09.04.2019)** में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि पत्नी पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के कारण अपना वैवाहिक घर छोड़ने या निकाले जाने के बाद पत्नी जिस स्थान पर शरण लेती है, तो उस स्थान के न्यायालय को भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अपराध का विचारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि क्रूरता के दुष्परिणाम पत्नी द्वारा शरण लिए गए स्थान पर भी निरंतर बने रहते हैं।

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रीति कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (निर्णय दिनांक 13.09.2019)** में भी उक्त विधिक सिद्धांत की पुनः पुष्टि करते हुए स्पष्ट किया है कि पत्नी जिस स्थान पर वैवाहिक घर छोड़ने के पश्चात निवास करने लगती है, वहां का न्यायालय भी धारा 498ए के अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम होगा।

वर्तमान प्रकरण में परिवादिया का कथन है कि वह कथित प्रताड़ना के कारण अपने पीहर ग्राम बालसमंद आकर रहने लगी तथा तभी से वहीं निवास कर रही है। अतः उपर्युक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वर्तमान न्यायालय को इस प्रकरण की सुनवाई एवं विचारण करने का विधिसम्मत क्षेत्राधिकार प्राप्त है। फलतः बचाव पक्ष द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में उठाई गई आपत्ति स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

विचारणीय बिंदु संख्या (i) एवं (ii) दोनों बिंदु परस्पर संबंधित होने से इनका एक साथ विचार किया जाना समीचीन है। अब यह परीक्षण किया जाना अपेक्षित है कि क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 498ए एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक

तत्व संदेह से परे सिद्ध होते हैं अथवा नहीं। विचारणीय बिन्दु संख्या (i) एवं (ii) पर साक्ष्य का विश्लेषण अभियोजन के अनुसार अभियुक्त द्वारा परिवादिया के साथ विवाह के पश्चात कम दहेज लाने का ताना देकर 2,00,000/- नकद एवं अन्य सामान की मांग की गई तथा मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ क्रूरता कारित की गई। अभियोजन का यह भी कथन है कि परिवादिया का स्त्रीधन अभियुक्तगण द्वारा अपने पास रख लिया गया तथा मांग करने पर भी वापस नहीं किया गया। PW-1 किस्तुराराम परिवादिया के पिता हैं। इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में दहेज मांग, 80,000/- देने तथा परिवादिया को प्रताड़ित करने का कथन किया है, किन्तु जिरह में स्वीकार किया कि उन्हें प्रताड़ना की किसी घटना की तिथि, माह अथवा वर्ष ज्ञात नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस बयान में ऐसी घटनाओं का पृथक-पृथक उल्लेख नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि विवाह में दिए गए कथित आभूषणों अथवा सामान के संबंध में कोई बिल, रसीद अथवा फोटोग्राफ पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाए गए। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उन्होंने स्वीकार किया कि परिवादिया द्वारा वर्तमान मुकदमा अभियुक्त द्वारा तलाक का मुकदमा प्रस्तुत करने के बाद दर्ज कराया गया। यहां तक कि उन्होंने यह भी कहा कि यदि तलाक का मुकदमा नहीं किया जाता तो यह मुकदमा भी नहीं किया जाता। यह स्वीकारोक्ति अभियोजन प्रकरण की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है। PW-2 प्रेमसिंह स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया कि उन्हें संपूर्ण जानकारी किस्तुराराम से प्राप्त हुई थी तथा उनका कथन सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें यह ज्ञात नहीं कि वे किस दिन अथवा किस वर्ष समझाइश के लिए गए थे। ऐसे कथनों का साक्ष्य मूल्य सीमित है। PW-3 मनोज कुमार परिवादिया के भाई हैं। उन्होंने भी अपने कथनों में दहेज मांग एवं प्रताड़ना का उल्लेख किया है, किन्तु जिरह में स्वीकार किया कि उन्होंने अपने सामने कभी भी परिवादिया के साथ मारपीट अथवा दहेज मांग होते नहीं देखी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें किसी भी घटना की तिथि, समय अथवा वर्ष ज्ञात नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि परिवादिया को प्रताड़ित किए जाने की जानकारी होने के पश्चात भी परिवादिया लगभग पाँच-छः वर्ष तक अपने ससुराल आती-जाती रही तथा उसी अवधि में उसकी पुत्री का जन्म भी हुआ। यह तथ्य अभियोजन की उस कहानी के विपरीत प्रतीत होता है कि परिवादिया को लगातार असहनीय क्रूरता का सामना करना पड़ रहा था। इसी प्रकार PW-3 ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त द्वारा पारिवारिक न्यायालय में तलाक का

मुकदमा प्रस्तुत किए जाने के बाद ही वर्तमान मुकदमा दर्ज हुआ। उनके पुलिस बयान में मोटरसाइकिल मांगने अथवा चार-पाँच बार समझाइश के लिए जाने का उल्लेख भी नहीं है। अतः उनके कथनों में महत्वपूर्ण सुधार परिलक्षित होते हैं। PW-4 कल्पना स्वयं परिवादिया हैं। निस्संदेह उनका कथन महत्वपूर्ण है, किन्तु उनका कथन भी संपूर्ण रूप से त्रुटिरहित एवं विश्वसनीय नहीं पाया जाता। उन्होंने मुख्य परीक्षण में कहा कि विवाह के समय दिया गया स्त्रीधन उन्होंने अपनी सास पाना देवी को सौंपा था, जबकि उन्होंने स्वीकार किया कि यह महत्वपूर्ण तथ्य न तो परिवाद में अंकित है और न ही पुलिस कथन में। यह स्पष्ट सुधार है। परिवादिया ने यह भी स्वीकार किया कि वह अंतिम बार वर्ष 2012 में ससुराल से आई तथा लगभग दो वर्ष पश्चात वर्ष 2014 में वर्तमान मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें प्रताड़ना अथवा दहेज मांग की किसी भी घटना की तिथि, समय, माह अथवा वर्ष स्मरण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति यह है कि अभियुक्त द्वारा रतनगढ़ एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत कार्यवाही में वह स्वयं उपस्थित हुई थी तथा न्यायालय के समक्ष उसने यह कहा था कि वह अपने पति के साथ जाना चाहती है और पहले अपने पीहर से सामान लेकर आएगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उक्त कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त ने पारिवारिक न्यायालय चूरू में तलाक का मुकदमा प्रस्तुत किया तथा तलाक का नोटिस प्राप्त होने के पश्चात ही वर्तमान परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादिया द्वारा जिरह में यह स्वीकार करना कि "अनिल कुमार ने तलाक का मुकदमा करवाया इसलिए मैंने यह मुकदमा किया" अभियोजन प्रकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। यह कथन अभियोजन कहानी की स्वाभाविकता एवं निष्पक्षता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है तथा इस संभावना को बल देता है कि वर्तमान मुकदमा वैवाहिक विवाद के परिणामस्वरूप बाद में उत्पन्न हुआ। न्यायालय यह भी पाता है कि परिवादिया ने अपने मुख्य परीक्षण में ओमप्रकाश द्वारा गलत नियत रखने, अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालने, केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास करने, भूखा रखने अथवा कमरे में बंद करने जैसे गंभीर आरोपों का समर्थन नहीं किया है, जबकि ऐसे आरोप मूल परिवाद का महत्वपूर्ण आधार थे। यदि वास्तव में ऐसी गंभीर घटनाएं हुई होतीं तो उनका उल्लेख न्यायालय में दिए गए मुख्य कथनों में स्वाभाविक रूप से अपेक्षित था। इन तथ्यों का समर्थन न किया जाना अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता को और अधिक कम करता है। पीडब्ल्यू-5 से पीडब्ल्यू-12 की साक्ष्य एवं धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता का विश्लेषण PW-5 कानाराम एवं PW-6 बजरंग सिंह केवल फर्द पेशकशी एवं

सुपुर्दगी (प्रदर्श पी-2) के गवाह हैं। दोनों गवाहों ने स्पष्ट स्वीकार किया कि उन्हें जब्त किए गए सामान का पृथक-पृथक विवरण ज्ञात नहीं है तथा सामान सामान्य घरेलू उपयोग का था। दोनों गवाहों के कथनों से यह भी स्पष्ट होता है कि पुलिस द्वारा बरामद सामान परिवादिया को सुपुर्द कर दिया गया था। इन दोनों गवाहों के कथनों से अभियुक्त द्वारा स्त्रीधन को बेईमानी की नियत से स्थायी रूप से अपने पास रखने अथवा उसका गबन करने का कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकलता। PW-7 चैनाराम ने दहेज मांग एवं प्रताड़ना का समर्थन किया है, किन्तु जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें किसी भी मांग की तिथि, समय अथवा माह ज्ञात नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि परिवादिया द्वारा उन्हें केवल इतना बताया गया था कि ससुराल वाले उसे तंग-परेशान करते हैं, किन्तु किस वस्तु अथवा कितनी राशि की मांग की गई, यह उन्हें ज्ञात नहीं था। उसने यह भी स्वीकार किया कि परिवादिया द्वारा वर्तमान मुकदमा अभियुक्त द्वारा तलाक का मुकदमा दायर किए जाने के बाद प्रस्तुत किया गया। यह तथ्य उनके कथनों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को प्रभावित करता है। PW-8 संदीप कुमार ने 80,000/- देने तथा दहेज मांग का कथन किया है, किन्तु जिरह में स्वीकार किया कि उन्हें किसी भी मांग की निश्चित तिथि अथवा माह ज्ञात नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि परिवादिया द्वारा वर्तमान मुकदमा तलाक का नोटिस प्राप्त होने के पश्चात प्रस्तुत किया गया। 80,000/- देने के संबंध में कोई रसीद, बैंक अभिलेख अथवा स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः केवल मौखिक कथन के आधार पर उक्त तथ्य को संदेह से परे सिद्ध नहीं माना जा सकता। हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी PW-8 रामकुमार कस्वा एवं PW-11 हरजिंदर सिंह न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं। दोनों अनुसंधान अधिकारियों ने अपने मुख्य परीक्षण एवं जिरह में कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि मुल्जिमा पानादेवी के विरुद्ध अनुसंधान के दौरान अपराध प्रमाणित पाया गया हो।

धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक था कि-

(1) परिवादिया का विशिष्ट स्त्रीधन अभियुक्त को सुपुर्द किया गया था,

(2) उक्त सम्पत्ति अभियुक्त के न्यास में थी,

(3) अभियुक्त ने बेईमानी की नियत से उसका दुरुपयोग अथवा गबन किया अथवा मांगने पर लौटाने से इंकार किया।

वर्तमान प्रकरण में यह तथ्य संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ कि कथित सम्पूर्ण स्त्रीधन विशेष रूप से अभियुक्ता पाना देवी अथवा अभियुक्त के न्यास में ही था। स्वयं विभिन्न गवाहों ने कहीं भंवरलाल को, कहीं पति अनिल को तथा कहीं सास को सामान सौंपने का कथन किया है। इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श पी-2 से यह भी स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा पर्याप्त सामान बरामद कर परिवादिया को सुपुर्द किया गया। अभियोजन यह सिद्ध करने में भी असफल रहा कि कौन-कौन सी विशिष्ट वस्तुएं शेष थीं तथा उन्हें अभियुक्त द्वारा बेईमानी की नियत से रोका गया था। अतः धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्व भी संदेह से परे सिद्ध नहीं होते।

उपरोक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं हो सके हैं। परिवादिया एवं अन्य गवाहों द्वारा कथित दहेज मांग एवं प्रताड़ना की किसी भी घटना की निश्चित तिथि, समय एवं स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है। विभिन्न गवाहों के कथनों में दहेज की मांग, 80,000/- देने, समझाइश हेतु जाने तथा स्त्रीधन सौंपने के संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं सुधार पाए जाते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि स्वयं परिवादिया एवं अन्य प्रमुख गवाहों ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त द्वारा तलाक का वाद प्रस्तुत किए जाने एवं उसका नोटिस प्राप्त होने के पश्चात ही वर्तमान परिवाद दर्ज कराया गया। यद्यपि केवल इस आधार पर परिवाद को असत्य नहीं कहा जा सकता, तथापि अन्य साक्ष्यों के साथ यह तथ्य अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाता है। अनुसंधान अधिकारी ने भी स्वीकार किया है कि परिवादिया द्वारा दहेज मांग की तिथि, समय एवं विशिष्ट मांग का उल्लेख नहीं किया गया था तथा अनुसंधान भी पूर्ण नहीं था। धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में भी अभियोजन यह सिद्ध नहीं कर पाया कि कथित सम्पूर्ण स्त्रीधन अभियुक्ता के न्यास में था तथा उसने बेईमानी की नियत से उसका गबन किया। प्रदर्श पी-2 से यह भी स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा बरामद सामान परिवादिया को सुपुर्द कर दिया गया था। अतः न्यायालय का मत है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य धारा 498ए एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्वों को संदेह से परे सिद्ध करने हेतु पर्याप्त नहीं है। आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांत के अनुसार संदेह का लाभ अभियुक्ता को दिया जाना अपेक्षित है। फलस्वरूप अभियुक्ता पाना देवी आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए एवं 406 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

16– अतः **अभियुक्त पानादेवी उर्फ पानीदेवी पत्नी स्व. चिरंजीलाल निवासी वार्ड नं.4 सोलजी की कुई के पास रतनगढ़ पुलिस थाना रतनगढ़ जिला चूरू** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17– अभियुक्त की ओर से नियमित उपस्थिति बाबत् पेशशुदा जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

18– अभियुक्ता अपील की अपेक्षा के अध्याधीन दं०प्र०सं० की धारा 437ए के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होने हेतु राशि 10 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू न्यायालय में प्रस्तुत करेगा जो 6 माह की अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे।

19– प्रकरण में जप्तशुदा माल (प्रदर्श पी.2) दहेज सामान पूर्व में सुपुर्दगी पर दिया गया है जो प्रार्थीया/सुपुर्दगीदार के पास रहे।

(दीपेंद्र कुमार मीणा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लाडनूं, डीडवाना–कुचामन

20– निर्णय आज दिनांक **29.06.2026** को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपेंद्र कुमार मीणा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लाडनूं, डीडवाना–कुचामन